बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः–राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इन्टर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के सकल्प स0–877(1) दिनांक–27.09.2022 के आलोक मे राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं के इन्टर्नस को निम्नरुपेण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है–

(क) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न्स – 20,000/– प्रतिमाह
(ख) पटना दन्त महाविद्यालय, पटना के इन्टर्न्स – 20,000/– प्रतिमाह
(ग) आयुर्वेदिक, यूनानी एव होमियोपैथी के इन्टर्न्स – 20,000/– प्रतिमाह
(घ) फिजियोथेरेपी एव अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स – 15,000/– प्रतिमाह

(2) उपरोक्त छात्रवृत्ति/इन्टर्नशिप का आर्थिक लाभ दिनाक–01.04.2017 से देय था। इसके पुनरीक्षण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य मे चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओ में इन्टर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति निम्नरुपेण बढाने का निर्णय लिया गया है–

(i) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयो के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(ii) पटना दन्त महाविद्यालय, पटना के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(iii) आयुर्वेदिक, यूनानी एव होमियोपैथी के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(iv) विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक के इन्टर्न्स – 27,000/– प्रतिमाह
(v) फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स – 20,000/– प्रतिमाह

(3) उक्त बढी हुई छात्रवृत्ति/इन्टर्नशिप का आर्थिक लाभ सकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा तथा तीन वर्षो के पश्चात् छात्रवृत्ति/इन्टर्नशिप का पुनरीक्षण विचारणीय होगा।

(4) उपरोक्त छात्रवृत्ति/इन्टर्नशिप के व्यय का वहन संबंधित संस्थान के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के विपत्र कोड के छात्रवृत्ति/वजीफा ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.09.2025 के मद सख्या–42 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(दिनेश कुमार झा)
सरकार के सयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/विविध–64/2021---- 919 (1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 8/9/2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी ई–गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सयुक्त सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–64/2021– 919(1) /स्वा0, पटना, दिनाक– 8 / 9 /2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी सबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, मत्रिमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–02.09.2025 के मद संख्या–42 के प्रसग मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना–800001/ विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, तृतीय तल, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना/प्राचार्य, राजकीय दत महाविद्यालय एव अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा/प्राचार्य, सभी आयुर्वेदिक/यूनानी/तिब्बी/होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/विभागाध्यक्ष–सह–नियत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन, ककडबाग, पटना/ प्राचार्य/अधीक्षक, सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2A, 2B, 7B, 11, 16 एव 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/9/25

सरकार के सयुक्त सचिव